दूरभाष/Tel.: 022-2559 2740
022-2559 3722
022-2559 5347
फैक्स/Fax : 022-2550 5151
022-2551 9613
ई-मेल/E-mail: deosrw@barc.gov.in
aposrw@barc.gov.in

सत्यमेव जयते

सेंट्रल कॉम्प्लेक्स,
ट्रॉम्बे, मुंबई - 400085.
Central Complex,
Trombay,
Mumbai - 400085

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
कार्मिक प्रभाग/Personnel Division
मानव संसाधन विकास/कर्मचारी संबंध एवं कल्याण अनुभाग
HRD/Staff Relation & Welfare Section

भापअ केंद्र में दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडीएस) के लिए समान अवसर की नीति
EQUAL OPPORTUNITY POLICY FOR PERSON WITH DISABILITIES (PwDs) IN BARC

(1) परिचय INTRODUCTION –

(i) समान अवसर की नीति **"दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016"** के प्रावधानों के अनुरूप है।
The Equal Opportunity Policy is in accordance with the provisions of "**The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.** "

(ii) "दिव्यांगों के लिए समान अवसर की नीति" का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगों को समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने और उनकी सत्यनिष्ठा के लिए उन्हें समान रूप से सम्मान का अधिकार प्राप्त हो। इस नीति का उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों को सशक्त बनाना और इस केंद्र के साथ उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
Main objective of the "Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities" is to ensure that the persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others. The policy is intended to empower the employees with disabilities and enhance their engagement with this Centre.

(iii) यह केंद्र दिव्यांगों की क्षमता का उपयोग करने हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करन के लिए कदम उठाएगा।
This Centre shall take steps to utilise the capacity of persons with disabilities by providing appropriate environment.

(iv) किसी भी दिव्यांग के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि विवादित कार्य या चूक एक तर्कसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है।
No person with disability shall be discriminated on the ground of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim.

(v) किसी भी व्यक्ति को केवल उनके दिव्यांगता के आधार पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
No person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground of disability.

(vi) किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ रोजगार के मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
There shall be no discrimination against any person with disability in any manner relating to employment.

(vii) इस केंद्र के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि विकलांग व्यक्तियों को कार्य स्थलों तक आसानी से पहुँच के लिए उचित बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए।
It shall be the endeavor of this Centre to provide appropriate barrier free and conducive environment for Persons with disability for easy access to work stations.

(2) प्रयोजनीयता APPLICABILITY:

समान अवसर की नीति में इस केंद्र में कार्यरत सभी दिव्यांग शामिल हैं। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपनी सेवा अवधि/कार्य अवधि के दौरान निःशक्त हुए हैं। यह नीति रोज़गार के उन सभी पहलुओं पर लागू होती है जो इस केंद्र पर समय-समय पर लागू होने वाले मौजूदा सरकारी आदेशों/नियमों एवं विनियमों और किसी व्यक्ति की पात्रता के अनुसार भर्ती, जहां भी लागू हो प्रशिक्षण, काम करने की स्थिति, वेतन एवं भत्ते, कर्मचारी कल्याण, पात्रता के अनुसार सुविधाएं एवं अनुलाभ, स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदि से आरंभ होते हैं।

The equal opportunity policy covers all persons with disability working in this Centre. It also covers employees who acquire disability during their service period / work tenure. The policy applies to all aspects of employment which starts from recruitment, training wherever applicable, working conditions, salary and allowances, staff welfare, facilities and perquisites as per eligibility, transfer and posting etc. as per extant government orders/ rules and regulations issued from time to time applicable to this centre and eligibility of an individual.

(3) दिव्यागों (पीडब्ल्यूडीएस) को उपलब्ध कराई गई सहूलियत/सुविधाएँ
Facilities/amenities provided to the persons with disabilities (PwDs)

1. शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के आवागमन के लिए एक विशेष शटल सेवा नॉर्थ गेट से उनके संबंधित कार्य स्थलों तक प्रदान की जाती है। इसके अलावा, इन कर्मचारियों के प्रवेश एवं निकास के समय इनके पहचान पत्र को बिना डी-बोर्डिंग के स्वाइप करने की सुविधा प्रदान की गई।
   A dedicated to and fro special shuttle service for the physically challenged employees is provided from North Gate to their respective work locations. Further, entry and exit of these employees facilitated without de-boarding for swiping their Identity Cards.
2. भापअ केंद्र, नॉर्थ गेट के बाहर उनके दो और चार पहिया वाहनों के पड़ाव हेतु चिह्नित पड़ाव-स्थल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
   Earmarked parking facility for parking their two and four wheeler vehicles is made available outside the North gate, BARC.
3. भापअ केंद्र परिसर में प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय आसानी से पहुँचने के लिए, फ्लैप बैरियर उपलब्ध कराए गए हैं।
   For easy access while entering and exiting the BARC premises, flap barriers are made available.
4. निर्धारित स्थानों पर व्हील-चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो बाधा मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है।
   Wheel-Chairs facility is made available at designated places facilitating barrier-free movement.
5. भापअ केंद्र परिसर में रैंप, साइनेज, लिफ्ट, सुलभ विश्रामशाला, पेयजल, सामान्य सुविधाएं आदि उपलब्ध हैं।
   Ramps, signage, elevators, accessible restrooms, drinking water, common utilities etc., are available within the premises of BARC.
6. उपचार के उद्देश्य से भापअ केंद्र अस्पताल में पीडब्ल्यूडीएस कार्ड धारकों अर्थात यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र) पर त्वरित विचार किया जाता है।
   Prompt consideration is given to PwDs card holders i.e. UDID (unique Disability ID) in BARC Hospital for treatment purpose.

(4) भर्ती एवं पदोन्नति RECRUITMENT AND PROMOTION :

1. जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है, दिव्यांगों को निम्नलिखित चिह्नित पदों में 4 % आरक्षण बेंचमार्क प्रदान किया जा रहा है:
   As mandated by Government of India 4% reservations in the following identified posts is being extended to the person having benchmark disability:

क्रम Sr. No.	वर्ग Group	पदनाम Designation	विषय Discipline	अभ्युक्तियां Remarks
1	ए A	तकनीकी अधिकारी TO	वास्तुकला, पुस्तकालय, बागवानी, चिकित्सा Architecture, Library, Horticulture, Medical	ओएल, ओए, पीडी OL, OA, PD
2	बी B	वैज्ञानिक सहायक SA	सिविल इंजिनियरिंग, वास्तुकला, बागवानी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर Civil Engg, Architecture, Horticulture, Electronics, Computer	ओएल, ओए, पीडी OL, OA, PD
3	सी C	तकनीशियन Technician	पुस्तकालय, सिविल (हैंड प्लंबर), बढ़ई, पेंटर, व्हाइटवॉशर, जिल्दसाज़ Library, Civil (Hand Plumber), Carpenter, Painter, Whitewasher, Book Binder	पीडी, एएसडी, एसएलडी, एमआई PD, ASD, SLD, MI
			ड्राफ्टसमैन (वास्तुकला/सिविल/मैकेनिकल/स्ट्रक्चर) Draughtsman (Arch/Civil/Mechanical/ Structure)	ओएल, पीडी OL, PD
		औषधज्ञ Pharmacist	-	ओएल, पीडी OL, PD
		आशुलिपिक-III Steno-III	-	ओएल, पीडी OL, PD
		प्रवर श्रेणी लिपिक UDC	-	ओएल, ओए, पीडी, पीबी OL, OA, PD, PB
		कार्य सहायक Work Assistant	-	ओएल, ओए, पीडी, पीबी, आईडी, सीएनसी, एमएस, एएसडी, एसएलडी, एमआई OL, OA, PD, PB, ID, CNC, MS, ASD, SLD, MI

शब्द-संक्षेप Abbreviations:

ओएल- एक पैर से प्रभावित/निःशक्त OL- One Leg Affected	ओए- एक बांह से प्रभावित/निःशक्त OA- One Arm Affected
पीडी- अंशतः बहरा PD- Partially Deaf	एएसडी- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ASD – Autism Spectrum Disorder
एसएलडी- विशिष्ट शिक्षण निःशक्तता SLD – Specific Learning Disability	एमआई- मानसिक अस्वास्थ्यता MI – Mental Illness
पीबी- आंशिक अंधापन PB- Partially Blind	सीएनसी- जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थिति CNC – Chronic Neurological Condition
एमएस – मल्टीपल स्केलेरॉसिस MS- Multiple Sclerosis	आईडी- बौद्धिक निःशक्तता ID – Intellectual Disability

2. **इसी प्रकार जहां भी लागू हो, दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 4% का आरक्षण भी दिया जाता है।**
Likewise reservation of 4% is also extended while considering PwDs employees for promotions wherever applicable.

3. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं :
Apart from this the following facilities are also being provided :

<u>परीक्षा के लिए FOR EXAMS:-</u>

i. जब कभी भी लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध न हो, तो उनकी सुविधा के लिए परीक्षाएँ भूतल में आयोजित की जाती हैं।
Exams are conducted on the Ground Floor ensuring easy accessibility, wherever lift facility is not available.

ii. प्रति घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।
Additional time of 20 minutes per hour is provided.

iii. दृष्टिबाधित (वीएच) और बधिर (एचएच) अभ्यर्थियों के लिए बहुविकल्पीय प्रकार की परीक्षाएँ आयोजित की जाती है।
Objective type of examination is conducted for Visually Impaired (VH) and Hearing Handicap (HH) candidates.

iv. इन कार्मिकों पर आवधिक स्थानांतरण हेतु विचार नहीं किया जाता है।
These employees are not considered for rotational transfer.

v. इन उम्मीदवारों को उनकी पसंद और रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अधिमानतः तैनात किया जाता है।
These candidates are preferably posted as per their choices, and availability of vacancies.

vi. किसी भी व्यक्ति को केवल अक्षमता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाता है।
No person is denied promotion merely on the ground of the disability.

vii. सेवा के दौरान अक्षमता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को अक्षमता के आधार पर हटाया या कम नहीं किया जाता है।
No person is dispensed with or reduced in rank on ground of disability for acquiring disability during service.

(5) विशेष छुट्टी एवं अन्य सुविधाएं SPECIAL LEAVE AND OTHER FACILITIES:-

(i) कैलेंडर वर्ष के दौरान अतिरिक्त 4 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है।
Additional 4 days of Special CL during the calendar year is provided.

(ii) सामान्य दर से दोगुना यात्रा भत्ते के भुगतान किया जा रहा है।
Transport allowance at double the normal rate is being paid.

(iii) एलटीसी का लाभ लेने के समय स्वयं/भाड़े की टैक्सी की अनुमति है। एलटीसी का लाभ लेते समय एक अनुरक्षक की अनुमति है।
While availing LTC, use of owned/hired Taxi is permitted. Also an escort while availing LTC is permitted.

(iv) किसी कर्मचारी की दिव्यांग संतान होने के मामले में, सामान्य दर से दोगुना संतान शिक्षा भत्ते का भुगतान किया जाता है।
In case of an employee having disabled child, CEA at double the normal rate is being paid.

(v) महिला दिव्यांग कर्मचारी के मामले में संतान के जन्म से लेकर संतान के 02 वर्ष के होने तक की देखभाल के लिए विशेष भत्ते के रूप में रु. 3,750/- प्रति माह का भुगतान किया जाता है।
In case of female disabled employee an allowance of Rs. 3,750/- per month is being paid as Special Allowance for child care from the child birth till the child becomes 02 years old.

(6) संपर्क अधिकारी एवं शिकायत निवारण अधिकारी और शिकायत निवारण तंत्र (एलओ एवं जीआरओ) की नियुक्ति

APPOINTMENT OF LIAISON OFFICER & GRIEVANCE REDRESSAL OFFICER & GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM (LO & GRO)

आरक्षण नीतियों को लागू करना और पीडब्ल्यूडीएस कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, एक संपर्क अधिकारी (जो भारत सरकार के उप सचिव पद के समकक्ष हो) को नियुक्त किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है:
For ensuring implementing reservation policies and promoting welfare of PwDs, a Liaison Officer (in the rank of Dy. Secretary to the Government of India) has been appointed, the details of whom are as follows:

श्री के.के. डांगे Shri K.K. Dange
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Chief Administrative Officer
होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान Homi Bhabha National Institute
द्वितीय तल, प्रशिक्षण विद्यालय परिसर 2nd Floor, Training School Complex
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai – 400 094
दूरभाष सं. (का.) Telephone No. (O) 022-2559 7637
ई-मेल E mail. :dy.registrar@hbni.ac.in

इसके अलावा, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 में यथावर्णित अनुसार अवर सचिव के पद के एक अधिकारी को दिव्यांगजनों के अधिकारों और पहुंच से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के रूप में नामित किया गया है। शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) का विवरण इस प्रकार है:
Also, an officer in the rank of Under Secretary has been nominated as Grievance Redressal Officer (GRO) for the Persons with Disabilities for addressing complaints related to the rights and accessibility of individual(s) with disabilities, as outlined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. The details of Grievance Redressal Officer (GRO) are as follows:

श्री अविनाश तिरपुड़े Shri Avinash Tirpude,
उप स्थापना अधिकारी Dy. Establishment Officer,
एचआरडी-एसआरएंडब्ल्यू एवं सामान्य अनुभाग HRD-SR&W & General Section,
कार्मिक प्रभाग Personnel Division
सेंट्रल कॉम्प्लेक्स Central Complex,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र Bhabha Atomic Research Centre
ट्रांबे, मुंबई Trombay, Mumbai – 400 085
टेली संपर्क संख्या Tel No. Contact No. 022-25595347
ईमेल Email : deosrw@barc.gov.in

इसके अलावा, दिव्यांगजनों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र के तहत एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीडब्ल्यूडीएस कर्मचारी सदस्य के रूप में शामिल हैं।
Further, a Committee under Grievance Redressal Mechanism has been constituted to redress the Grievances of Persons with Disabilities which *inter-alia* includes PwDs employees as Members.

(7) देखभाल करने वालों हेतु सरलीकरण/सुविधाएं FACILITATES FOR CAREGIVERS

उपरोक्त सभी सुविधाओं के अलावा, यह केंद्र एक विशेष विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र चला रहा है जो विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों और कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए है - सौशिल्या जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम **1860** और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम **1950** के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के तहत पंजीकृत है। सौशिल्या बौद्धिक अक्षमता, ऑटिज़्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पल्सी, बौद्धिक अक्षमता के साथ मिर्गी से पीड़ित बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। छात्रों को जीवन कौशल, कला और शिल्प, नृत्य, खेल, योग, जुम्बा, कार्यात्मक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान और व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्र नियमित रूप से विशेष ओलंपिक, अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

Apart from all the above mentioned facilities, this Centre is running a Special School and Vocational Training & Rehabilitation Centre meant specially for taking care of the requirements of differently abled children & wards of the employees *viz.* Sausheelya which is registered under the State of Maharashtra as per the Society Registration Act 1860 & Bombay Public Trust Act 1950. Sausheelya imparts training to the children with Intellectual Disability, Children with Autism, Attention Deficit Hyperactive Disorder, Down's syndrome, Cerebral palsy, Epilepsy with Intellectual Disability. The students are being given training in life skills, art & craft, dance, sports, yoga, zumba, functional academics, value education, general knowledge and vocational activities. Students regularly participate in Special Olympics, Inter school competitions, Cultural programs, etc.

समीक्षा REVIEW

वर्तमान सरकारी आदेशों के आधार पर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि इसमें आगे भी सुधार किया जा सके।

The facilities are being provided based on the extant Government Orders which will be reviewed from time to time for further improvisation of the same.

---oOo---